न्यायामूर्ति एमएम कुमार और रितु से पहले बहरी , जे जे के समक्ष

एमएस खान और अन्य -याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं अन्य -प्रतिवादी

CWPNo . 5617/CATof2008

1 नवंबर, 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226—वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में विवाद—याचिकाकर्ता लगभग 15 वर्षों तक चुनौती देने में विफल रहे—अधिकरण ने समय से बाधित होने के आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया—एक समान मामले में न्यायाधिकरण ने आवेदकों के दावों की अनुमित दी—याचिकाकर्ताओं का मामला पूरी तरह से न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय द्वारा कवर किया गया सुदेश में पीएपी मामला-याचिका स्वीकार की गई, ट्रिब्यूनल के आदेश के साथ-साथ संशोधित वरिष्ठता सूची को खारिज कर दिया गया।

माना गया कि संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी बनाते हैं। संवैधानिक अधिदेश राज्य को पूरे देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है। न्यायालयों द्वारा जारी निर्देश को दरिकनार करने की कोई संभावना नहीं हो सकती है क्योंकि इससे ऐसे निर्णय के लाभार्थी के बीच असंतोष और हताशा का तत्व आएगा। इसी सिद्धांत से उभरने वाला एक और पहलू यह है कि फैसले के दायरे में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शिकायत के निवारण के लिए अदालतों में जाने की जरूरत नहीं है।

(पैरा 8)

इसके अलावा, यह माना गया कि आवेदक याचिकाकर्ताओं की ओर से देरी का आह्वान करके ट्रिब्यूनल ने उन्हें गैर-अनुकूल बना दिया है। सुदेश पाल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में भी यही तर्क दिया गया था , लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। आवेदक-याचिकाकर्ता समान रूप से स्थित हैं। उन्हें 1987 में अपरेंटिस चार्जमैन 'बी' के रूप में भर्ती किया गया था। यहां तक कि उन्होंने 1989 में अपना प्रशिक्षण पूरा किया और उसके बाद ही रुपये के ग्रेड में चार्जमैन 'बी' के रूप में उनकी पोस्टिंग के आदेश दिए गए । श्री सुदेश पाल एवं अन्य के साथ 1400-2300 जारी किये गये । वर्ष 1990 में रेलवे स्थापना नियमावली के पैरा 303-ए के संशोधन के अस्तित्व में आने से काफी पहले यानी प्रशिक्षण के बाद आयोजित परीक्षा में उनकी योग्यता के आधार पर उनकी पारस्परिक विष्ठता भी तय की गई थी। विरष्ठता स्थित के आधार पर, आवेदक-याचिकाकर्ताओं को उनके पदों पर पृष्टि की गई और आगे चार्जमैन 'ए', डिप्टी शॉप अधीक्षक और विरष्ठ अनुभाग अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया। मतलब इस तरह उन्हें प्रमोशनल पदों पर अधिकार मिल गया है। एक ही पायदान पर बैठे व्यक्तियों के लिए दो अलग-अलग पैमाने नहीं अपनाए जा सकते। संक्षेप में, आवेदक-याचिकाकर्ताओं का मामला सुदेश पाल के मामले में ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए 8 अक्टूबर, 2002 के फैसले से पूरी तरह से कवर होता है। इसलिए, आवेदक-याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर मूल आवेदन को खारिज करते हुए ट्रिब्यूनल ने गंभीर कानूनी गलती की है।

(पैरा 13 एवं 14)

याचिकाकर्ताओं के वकील संजीव मनराय।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता, पुनीत जिंदल।

माननीय एमएम कुमार, जे.

- (1) यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें 11 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई है। 2007 (पी-3) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच द्वारा पारिता चंडीगढ़ (संक्षिप्तता के लिए, 'ट्रिब्यूनल') ने आवेदक-याचिकाकर्ताओं के उनके द्वारा दायर मुल आवेदन को खारिज करते हुए उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के दावे को खारिज कर दिया।
- (2) सबसे पहले मामले के तथ्यों पर गौर किया जा सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड, चंडीगढ़ द्वारा किए गए चयन के पिरणामस्वरूप, आवेदक याचिकाकर्ताओं को अपरेंटिस चार्जमैन ' बी' के रूप में भर्ती किया गया था। श्री एमएस खान याचिकाकर्ता नंबर 1 रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला में शामिल हुए (संक्षिप्तता के लिए, ■आरसीएफ)। 8 जनवरी, 1987 को, जबिक श्री परमजीत सिंह-याचिकाकर्ता नंबर 2 13 जुलाई, 1987 को वहां शामिल हुए। उन्हें दो साल के प्रारंभिक अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अस्थायी चार्जमैन के रूप में उनकी पोस्टिंग के आदेश दिए गए ^{एल} बी ' रुपये के ग्रेड में . 1400-2300 जारी किए गए (अल और ए-2)। 16 मई, 1991 (ए-3) को, विरष्ठ कार्मिक अधिकारी, आरसीएफ द्वारा नियमित चार्जनमैन आईटी की एक अनंतिम विरष्ठता सूची प्रसारित की गई थी। याचिकाकर्ताओं के नाम क्रमशः क्रम संख्या 51 और 162 में उल्लेखित हैं। 23 अगस्त के एक आदेश द्वारा। 1991 में याचिकाकर्ताओं को रुपये के ग्रेड में चार्जमैन 'ए' के अगले उच्च पद पर नियुक्त किया गया। 1600-2660 अस्थायी और तदर्थ आधार पर (ए-4)। 13 सितंबर, 1991 को रुपये ग्रेड में नियमित चार्जमैन 'बी' की अंतिम विरष्ठता सूची। 1400-2300 जारी किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ताओं के नाम शामिल थे। क्रम संख्या 59 और 186 पर क्रमशः 1 और 2 अंक (ए-5)। 8 अगस्त, 1992 को याचिकाकर्ताओं को रुपये के ग्रेड में चार्जमैन 'ए* के रूप में पदोन्नत किया गया था। 1600-2600 नियमित आधार पर (ए-6)।
- (3) चार्जमैन ' ए' के पद से अगला उच्च पद डिप्टी शॉप अधीक्षक का है जो एक चयन पद है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि चार्जमैन 'ए' की एक सूची जो रुपये के पैमाने पर उप दुकान अधीक्षकों के उपलब्ध पदों के चयन के लिए पात्र थे। 2000-3200 (ए-7) तैयार किया गया। उक्त चयन पैनल चार्जमैन 'ए* की विरष्ठता के अनुसार तैयार किया गया था।
- (4) 20 अक्टूबर को. 1992. फिर से चार्जमैन 'ए' और चार्जमैन 'बी' की एक अनंतिम विरिष्ठता सूची आपित्तयां आमंत्रित करते हुए जारी की गई, जिन्हें उक्त सूची (ए-8) जारी होने के 15 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना था। इसके बाद,
- 6 मई, 1993 को चार्जमैन 'ए* की एक और अनंतिम विरष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें वे कर्मचारी जो चार्जमैन 213* के प्रशिक्षण के दौरान पहले प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे और पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, उन्हें सबसे नीचे रखा गया (ए-9). आवेदक याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि 6 मई, 1993 (ए-9) के आदेश द्वारा विरष्ठता सूची को फिर से तैयार करते समय उनकी विरष्ठता की स्थिति बदल दी गई है और उन्हें निजी उत्तरदाताओं संख्या 4 से 11 के नीचे लाया गया है जबिक पिछली विरष्ठता सूची में उन्हें चार्जमैन 43' और चार्जमैन के पदों पर उनसे विरष्ठ दर्शाया गया था। क्रमशः 1 एं.
 - (5) 6 मई 1993 के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता संख्या 1 ने 14 मई को अभ्यावेदन दाखिल किया। 1993 (ए-

M.S. KHAN AND ANOTHER v. UNION OF INDIA 347 AND OTHERS {M,M. Kumar, J.}

- 11) दिनांक 16 मई की वरिष्ठता सूची के अनुसार उनकी वरिष्ठता की बहाली के लिए। 1992. इसके बाद, उन्होंने उपरोक्त अनंतिम वरिष्ठता सूचियों और विभिन्न अन्य अभ्यावेदनों के खिलाफ भी अपील दायर की। अंततः आवेदक-याचिकाकर्ताओं ने OA नंबर 273-PB-2005 दायर किया।
- (6) ट्रिब्यूनल के समक्ष, आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा अपनाया गया रुख यह था कि ओए को कार्रवाई के कारण, यदि कोई हो, के कारण सीमा से रोक दिया गया था। आवेदक-याचिकाकर्ताओं को वर्ष 1993 में अर्जित किया गया था, जबिक ओए वर्ष 2005 में दायर किया गया था। यह आगे कहा गया है कि मौजूदा निर्देशों के अनुसार, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा भर्ती किए गए उम्मीदवारों की विरष्ठता को सौंपा जाना था। प्रशिक्षण के अंत में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर। यह बताया गया है कि आवेदक-याचिकाकर्ताओं को निजी प्रतिवादी संख्या 4 से 11 के साथ दो साल के प्रशिक्षण से गुजरने के लिए भेजा गया था। हालाँकि, आवेदक-याचिकाकर्ता उक्त प्रशिक्षण के अंत में आयोजित प्रशिक्षण परीक्षण उत्तीर्ण नहीं कर सके। ' फ़स . उनके लिए एक पूरक परीक्षा आयोजित की गई , जिसमें वे उत्तीर्ण हुए। 11ओवे देखें. ट्रेनिंग स्कूल द्वारा प्रशिक्षुओं का परिणाम भेजते समय इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया था। उन्हें चार्जिम *ए* के अगले उच्च पद पर भी पदोन्नत किया गया। उपरोक्त त्रुटि तब ध्यान में आई जब शेल ट्रेड के श्री एस.के. गौड़ ने शिकायत की कि उनके कुछ बैच साथियों ने, जिन्होंने दूसरे प्रयास में प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उन्हें पहले प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के ऊपर विरक्षता दी गई है। इसके बाद मामले पर गौर किया गया और 6 मई के आवेश से तुटि को सुधार लिया गया। 1993 (ए-9)।
- (7) इली ट्रिब्यूनल ने आवेदक याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2007 (पी-3) के आदेश के तहत *दायर* ओए को निम्नानुसार देखते हुए खारिज कर दिया:
 - (8) कार्रवाई का मूल कारण, 1992 में आवेदक के समक्ष उत्पन्न हुआ है/ 1993, और 2005 में ओए दाखिल करने में बहुत देर हो चुकी है, जिसमें कुछ चीजों को अस्थिर करने का दावा किया गया है, जो लगभग 15 वर्षों के इन सभी लंबे वर्षों के दौरान अंतिम रूप ले चुकी हैं। मूल आवेदन प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 21 द्वारा वर्जित है। 1985, साथ ही देरी और लापरवाही। केवल, क्योंकि 20 जुलाई, 2003 को उत्तरदाताओं द्वारा आवेदकों के अभ्यावेदन को खारिज करते हुए अनुबंध ए-20 पारित कर दिया गया है, कार्रवाई का एक कारण पुनर्जीवित नहीं होगा जो लगभग 15 साल पहले उत्पन्न हुआ और समाप्त हो गया। उत्तरदाताओं द्वारा एक विशिष्ट आपित्त उठाए जाने के बावजूद कि ओए समय से बाधित है, आवेदकों ने देरी की माफी के लिए कोई आवेदन दायर करने का विकल्प भी नहीं चुना है। इसके अलावा, उन्होंने अपने जवाब में उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए रुख का खंडन करने वाला कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया है।
 - (7) तक यह तय हो चुका है कि तय की गई वरिष्ठता स्थिति को लंबे समय के बाद रह नहीं किया जा सकता है जैसा कि सीपी अग्रवाल बनाम पीओ लेबर कोर्ट और अन्य, 1997 एसएलआर के मामले में हुआ था। 178 एस.सी. जहां तक बार-बार अभ्यावेदन का सवाल है, यह माना गया है कि परिसीमा कार्रवाई के मूल कारण से शुरू होती है और बार-बार अभ्यावेदन परिसीमा की अवधि को नहीं बढ़ाता है और भले ही विलंबित अभ्यावेदन पर विचार किया जाता है और खारिज कर दिया जाता है, फिर भी वह परिसीमा की अवधि को नहीं बढ़ाएगा। सीमा. एपी उच्च न्यायालय बनाम महेश प्रकाश और अन्य 1995 एससीसी (एल एंड एस) 278: दमन और डियू के यू/ई के

प्रशासक और अन्य *बनाम* एसआरडी वैलेंट , एटीसी 1996 (32) 148 का संदर्भ दिया गया है। यह निर्णय भी अच्छी तरह से तय है किसी अन्य मामले में लिमिटेशन का नया पट्टा नहीं दिया जाएगा।

- (8) आलोक में विचार करते हुए , इस OA को देरी और विलंब के अलावा, सीमा के कानून द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं।"
- (9) हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। यह सच हो सकता है कि विरिष्ठता सूची को 6 मई, 1993 को अंतिम रूप दिया गया था। यह भी उतना ही अच्छी तरह से तय है कि अनुच्छेद

संविधान के 141 और 142 सर्वोच्च न्यायालय के 1 आयन टिक के निर्णय को सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी बनाते हैं। संवैधानिक जनादेश राज्य को पूरे देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है। ' न्यायालयों द्वारा जारी निर्देश को दरिकनार करने की कोई संभावना नहीं हो सकती है क्योंकि इससे ऐसे निर्णय के लाभार्थी के बीच असंतोष और हताशा का तत्व आएगा। इसी सिद्धांत से उभरने वाला एक और पहलू यह है कि फैसले के दायरे में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शिकायत के निवारण के लिए अदालतों में जाने की जरूरत नहीं है। रेलवे प्रशासन के एक मामले में, अर्थात्. भारत संघ बनाम लिलता एस. राव (1), भारतीय रेलवे चिकित्सा विभाग में विरिष्ठता से संबंधित एक विवाद उत्पन्न हुआ था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन पक्षों को भी राहत देने के इस सिद्धांत के पालन की आवश्यकता पर बल दिया , जिन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया नहीं था। सुनाया गया फैसला स्पष्ट रूप से उनके हित को भी कवर करता है। निर्णय के पैरा 3 से निम्निलिखित उद्धरणों को पढ़ना लाभदायक होगा, जो इस प्रकार है:

(10) इस न्यायालय के पहले उल्लिखित निर्णयों के कारण रेलवे प्रशासन के मन में उत्पन्न भ्रम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, और यूपीएससी के माध्यम से रेलवे प्रशासन द्वारा भर्ती किए गए चिकित्सा अधिकारियों के बीच वरिष्ठता के निर्धारण के मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए, हमने लागू विभिन्न नियमों के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा पहले के कई मामलों में जारी किए गए आदेशों पर विचार करते हुए समस्या का समाधान किया है और यह इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना लागू होना चाहिए कि इस कार्यवाही में कुछ पक्ष शामिल हैं या नहीं। वास्तव में डॉ. श्रीनिवासुलु जैसे अंदरूनी सीधी भर्ती वाले चिकित्सा अधिकारियों की शिकायतों में से एक यह है कि जब अदालत उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए डॉ. हक द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर विचार कर रही थी , जो इस श्रेणी से संबंधित थे, तो उन्हें पार्टी के रूप में शामिल नहीं किया गया था। , तदर्थ नियुक्त व्यक्ति जो यूपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के माध्यम से खुद को चयनित किए बिना केवल डॉ. एके जैन केस (एके जैन (डॉ.) बनाम भारत संघ, 1987 सिल्लमेंट एससीसी) में इस न्यायालय द्वारा उठाए गए दयालु दृष्टिकोण के कारण भर्ती हुए। 497]

(1) (2001) 5 एससीसी 384

- (9) ईएसपी राज ए राम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (2) के मामले में भी लिया गया है। ऐसा माना गया है कि पर्स न्यायिक घोषणा से भी अपवित्र राष्ट्र से बचना चाहिए। यहां तक कि भारतीय रेलवे जैसे बड़े प्रतिष्ठान में भी बड़ी संख्या में कर्मचारी काम कर रहे हैं तो कुछ कैडर में विरष्ठता से संबंधित पदोन्नित जैसी अवांछनीय स्थिति से बचा जाना चाहिए और एक निर्णय का लाभ दूसरे को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिससे कर्मचारी को ऋण स्वचालित रूप से मिलना चाहिए। वास्तव में, डॉ. संतोष कुमारी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही सिद्धांत दोहराया था बनाम भारत संघ, (3). यह देखा गया है कि स्कैट का आवंटन योग्यता के अनुसार होना चाहिए और यह इस तथ्य पर निर्भर नहीं होगा कि मेधावी व्यक्ति न्यायालय में आए हैं या नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कानून का सिद्धांत इस तथ्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति ने न्यायालय से संपर्क नहीं किया है। तदनुसार, वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में करने की आवश्यकता है।
- (10) वर्तमान मामले के तथ्यों पर आने से पहले, इस बात पर प्रकाश डाला जा सकता है कि ट्रिब्यूनल ने सुडच पाल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के समान मामले में (ओए संख्या 140/पीबी 1997, 8 अक्टूबर 2002 को निर्णय लिया है) प्रेम कुमार वर्मा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (4) के मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा

M.S. KHAN AND ANOTHER v. UNION OF INDIA 350 AND OTHERS $\{M, M. Kumar, J.\}$

कि यदि चयन की प्रक्रिया जुलाई में पूरी हो गई थी। 1989 और चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, विरष्ठता निर्धारित करने के लिए नियम पहले 1990 में और फिर 1993 में संशोधित किया गया था, उन व्यक्तियों पर लागू नहीं किया गया था। फैसले के पैरा 5 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने निम्नानुसार माना है *

- (11) हमारे निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि पद जुलाई से पहले खाली हो गए थे। 1989 और चयन की प्रक्रिया पूरी हुई और भर्ती बोर्ड ने 11 जुलाई को उम्मीदवारों का चयन किया। 1989 का संशोधन जो 5 मई को पेश किया गया था। 1990 और 1993 के आगे के संशोधन पर कोई लागू नहीं होगा और यह असंशोधित नियम 303 (ए) है जैसा कि 11 जुलाई को था। 1989
- (2) (2001)2 एससीसी 186
- (3) (1995) 1 एससीसी 269
- (4) एआईआर 1998 एससी 2854

विष्ठता के आधार पर मामले को नियंत्रित किया जाएगा। पैरा 303 के प्रावधानों के विश्ठेषण से पता चलता है कि जहां उम्मीदवारों को रेलवे सेवा आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के माध्यम से चयनित होने के बाद कुछ प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, उनकी विष्ठता अंत में आयोजित परीक्षा में उनकी संबंधित योग्यता के आधार पर निर्धारित की जाती है। प्रशिक्षण अवधि और जहां उम्मीदवारों को किसी भी प्रशिक्षण से गुजरना नहीं पड़ता है, तो विरष्ठता रेलवे सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा सौंपी गई योग्यता के आधार पर निर्धारित की जाती है। वर्तमान मामले में उम्मीदवारों को प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा और वास्तव में उन्होंने बैचों में प्रशिक्षण लिया था, जैसा कि पहले ही कहा गया है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण अवधि के अंत में आयोजित परीक्षा में प्राप्त उनकी योग्यता के आधार पर उनकी विरष्ठता सही ढंग से निर्धारित की गई थी। ट्रिब्यूनल ने एक नियम के आधार पर उक्त विरष्ठता में बदलाव करके गलती की, जो रिक्ति निकलने की तारीख और चयन पूरा होने की तारीख पर अस्तित्व में नहीं था।"

- (11) उपरोक्त पैरा पर भरोसा करते हुए, ट्रिब्यूनल ने सुडच पाल के मामले में मूल आवेदन की अनुमित दी (उपरोक्त)। यहां यह ध्यान देना उचित होगा कि सुडच में पीएपी केस (सुप्रा) में ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदकों को 1987 में अपरेंटिस चार्जमेन के रूप में नियुक्त किया गया था और प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था जिसे उन्होंने 1989 में सफलतापूर्वक पूरा किया था और प्रशिक्षण के बाद आयोजित परीक्षा में उनकी योग्यता के आधार पर उनकी इंटर एससी विरष्ठता भी 1989 में तय की गई थी। वर्ष 1990 में रेलवे स्थापना नियमावली के पैरा 3 03-ए के संशोधन के अस्तित्व में आने से काफी पहले। पैरा 303-ए. इसके बाद वर्ष 1993 में इसमें और संशोधन किया गया। उनकी प्रारंभिक विरष्ठता स्थिति के आधार पर उन आवेदकों को न केवल उनके पदों पर पुष्टि की गई, बल्कि चैगमैन 'ए' के पद पर पदोन्नत भी किया गया। उत्तरदाताओं ने ट्रिब्यूनल के समक्ष इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि पैरा 303-ए के अनुसार भी, जैसा कि 1990 में था। जो लोग बाद के अवसरों में परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, वे उन लोगों से किनष्ठ होंगे जिन्होंने पहले पाइयक्रमों में परीक्षा उत्तीर्ण की थी। मैं कम करता हूं। ट्रिब्यूनल उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए तर्क से सहमत नहीं हुआ और पाया कि 1990 में संशोधित पैरा 303-ए 1989 में विरष्ठता सूची के साथ नियुक्ति आदेश जारी करने के समय मौजूद नहीं था। उक्त आवेदकों में से. ट्रिब्यूनल ने पैरा 303 पर भी गौर किया जैसा कि 1989 में था। जो इस प्रकार है:
 - k '303.रेलवे सेवा आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा भर्ती किए गए उम्मीदवारों की वरिष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जानी चाहिए:
 - (ए) जिन उम्मीदवारों को प्रशिक्षण स्कूलों में प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, उन्हें कामकाजी पदों पर तैनात होने से पहले प्रशिक्षण अविध के अंत में आयोजित परीक्षा में प्राप्त योग्यता के क्रम में संबंधित ग्रेड में विरष्ठता में रैंक दिया जाएगा।
 - (12) सुदेश पाल (सुप्रा) के मामले में निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा :
 - "इस नियम को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि किसी भी बाद के प्रयास में व्यक्तियों को जूनियर रखे जाने का कोई उल्लेख नहीं है। हम यह भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि उत्तरदाताओं ने उसीं प्रयास में आवेदकों द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने का तर्क कैसे उठाया। जबिक अनुबंध यूआरसी ए-1 में ऐसा कोई संकेत नहीं है। ए-1 में केवल यह उल्लेख किया गया है कि आवेदकों ने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और यहां तक कि 2 व्यक्तियों के नामों का भी उल्लेख किया है। श्री मोहिन्दसीआर सिंह और श्री केके अग्रवाल उन लोगों में से हैं जो असफल हो गया था। यदि

आवेदक भी अपने पहले प्रयास में असफल रहे थे, तो उक्त आदेश में इसके बारे में उल्लेख किया जाना चाहिए था। हम केवल इस तथ्य से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि इस तरह के उल्लेख की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उस समय जो विनियमन मौजूद था, उसमें पहले प्रयास में उत्तीर्ण होने वालों और दूसरे प्रयास में उत्तीर्ण होने वालों के बीच कोई अंतर नहीं था, क्योंकि निर्धारित प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होना और पूरा करना नियुक्ति पाने का एकमात्र मानदंड था और प्रशिक्षण स्कूल में प्राप्त अंका विरष्ठता निर्धारित करने के लिए एकमात्र मानदंड थे। आगे की विरष्ठता एक बार नियमों के तहत निर्धारित हो जाती है क्योंकि यह तब अस्तित्व में थी और 1989 और 1993 के बीच कई बार इसे अंतिम रूप दिया गया था , इतने वर्षों के अंतराल के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है, जब उसी सूची का उपयोग चाग्रामक ग्रेड के पद पर पहले की पदोन्नित के लिए किया गया था। ~ए~ साथ ही चार्जमैन ग्रेड के पद पर स्थायीकरण के लिए। 'अगर। पृष्टिकरण की विरष्ठता सूची यथा

चार्जमैन जीआर. 'आईटी को पूर्वव्यापी रूप से नहीं बदला जा सकता है, और किसी भी तरह से " प्रेम कुमार वर्मा * (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण नहीं। स्थिति लगभग समान है और हमें इस स्कोर पर आवेदकों से असहमत होने का कोई कारण नहीं मिलता है।" (हमारे द्वारा जोर)

- (13) 11 बकाया Ver. वर्तमान मामले में आवेदक-याचिकाकर्ताओं की ओर से देरी का हवाला देकर ट्रिब्यूनल ने उन्हें गैर-अनुकूल बना दिया है। सुदेश पाल के मामले (सुप्रा) में भी यही तर्क दिया गया था लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। जब हमने वर्तमान मामले के तथ्यों की तुलना सुदेश पाल के मामले (सुप्रा) से की, हम पाते हैं कि आवेदक-याचिकाकर्ता समान स्थित में हैं। 'उन्हें 1987 में अपरेंटिस चार्जमैन ' IV के रूप में भर्ती किया गया था। यहां तक कि उन्होंने 1989 में अपना प्रशिक्षण पूरा किया और उसके बाद ही रुपये के ग्रेड में चार्जमैन 'आईटी के रूप में उनकी पोस्टिंग के आदेश दिए गए। श्री सुदेश पाल एवं अन्य के साथ 1400-2300 जारी किये गये। उनके एम/ टीआर आईसी प्रशिक्षण के बाद आयोजित परीक्षा में उनकी योग्यता के आधार पर एससी वरिष्ठता भी तय की गई थी। वर्ष 1990 में रेलवे स्थापना नियमावली के पैरा 303-ए के संशोधन के अस्तित्व में आने से काफी पहले। वरिष्ठता स्थित के आधार पर आवेदक-याचिकाकर्ताओं को उनके पदों पर पुष्टि की गई और आगे चार्जमैन 'ए' डिप्टी शॉप अधीक्षक और वरिष्ठ अनुभाग अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया। मतलब इस तरह उन्हें प्रमोशनल पदों पर अधिकार मिल गया है।
- (14) यह भी समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है कि एक ही पायदान पर खड़े व्यक्तियों के लिए दो अलग-अलग मानदंड नहीं अपनाए जा सकते हैं। संक्षेप में, आवेदक-याचिकाकर्ताओं का मामला 8 अक्टूबर के फैसले में पूरी तरह से शामिल है। 2002 में सुदेश पाल के मामले में ट्रिब्यूनल द्वारा प्रस्तुत (सुप्रा)। इसलिए, हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि आवेदक-याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर मूल आवेदन को खारिज करते समय ट्रिब्यूनल ने कानून में गंभीर गलती की है।
- (15) उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, तत्काल याचिका सफल होती है। 'आक्षेपित निर्णय 11 अक्टूबर का है। 2007 (पी-3) ट्रिब्यूनल द्वारा पारित तथा संशोधित विरष्ठता सूची दिनांक 6 मई। 1993 (ए-9) आर्क को अलग रखा गया। आधिकारिक उत्तरदाताओं को आवेदक-याचिकाकर्ताओं की विरष्ठता बहाल करने का निर्देश दिया गया है क्योंकि यह मूल रूप से 13 सितंबर को तय किया गया था। 1991.
 - (16) मेरी रिट याचिका उपरोक्त शर्तों के अनुसार निस्तारित की जाती है।

आरएनआर

M.S. KHAN AND ANOTHER v. UNION OF INDIA AND OTHERS (M.M. Kumar. J.)

353

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है तािक वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनजोत कौर (Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम, हरियाणा